lR;eo t;r

jktLFkku jkt&i=k
fo'k"kkd

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

lkf/kdkj i|dkf'kr

Published by Authority

फाल्गुन 18, शुक्रवार, शाके 1928 – मार्च 9, 2007
Phalguna 18, Friday, Saka 1928 - March 9, 2007

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (**II**)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.371.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं.4) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में,–

(1) क्र.सं. 1 के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान प्रविष्टि ''29. स्प्रेयर'' के स्थान पर प्रविष्टि ''29. स्प्रेयर और उनके पुर्जे व उप साधन'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(2) विद्यमान क्र.सं. 60 क और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी;

(3) विद्यमान क्र.सं. 77 और उसकी प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्र.सं. और उनकी प्रविष्टयां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्ः–

''

78	रतनजोत	
79	क्रूड बायो–डीजल और 100 प्रतिशत बायो डीजल (बी 100)	
80	हेलमेट	
81	बिना सिली हुई चद्दर	
82	वूवन लेबल टेप, इलास्टिक नायलोन/फैब्रिक टेप और लैस	

''

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007–135**]**
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.372.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में,

1. क्र. सं. 16 के सामने स्तंभ सं. 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

''उपयोग में लिए गये मोटरयानों में व्यवहार करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।''

2. विद्यमान क्र. सं. 18 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

19.	स्व-सहायता समूह।
20.	एस्बेस्टास सीमेंट चद्दरों और ईंटों के विनिर्माता।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-136]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.373.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 3 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 3 में,

(1) क्र.सं. 2 के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''हीरा'' के पश्चात् अभिव्यक्ति '', सोने या चांदी का वर्क'' जोड़ी जायेगी; और

(2) क्र.सं. 4 के सामने स्तम्भ सं. 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.3.2007 तक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2008 तक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-137]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.374.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 के भाग-ख में,-

(i) क्र.सं. 221 के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां ''अवघर्षक और एमरी स्टोन कुरुन्द पत्थर'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान क्र.सं. 267 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी; अर्थात् :-

"

268.	इस अनुसूची में या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किये गये रसायन	4
269.	जिलेटिन और जिलेटिन केप्सूल	4
270.	टोल्यूईन, ओ-जाइलीन और मिक्स जाइलीन	4
271.	पापड़-खार	4

"

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-138]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.375.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-97 दिनांक 11.10.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उपयोग में लाये गये मोटर यान का कारबार करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को इसके नीचे वर्णित सीमा तक और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए इसके द्वारा कर के संदाय से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(1) कि उपयोग में लाये गये मोटर यान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अन्तर की रकम पर 4 प्रतिशत की दर से कर संदत्त किया जायेगा;

(2) कि ऐसे माल के क्रय के संबंध में व्यवहारी द्वारा कोई आगत कर मुजरे का दावा नहीं किया जायेगा, जिसका उपयोग, उपयोग में लाये गये मोटर यान में किया गया है; और

(3) कि ऐसा उपयोग में लाया गया मोटर यान आरंभ में राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया था और उसके विक्रय के पूर्व मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के उपबंधों के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत था।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-139]

राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.376.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, स्व-सहायता समूहों द्वारा विनिर्मित और विक्रीत हस्त निर्मित माल को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(1) कि ऐसा स्व-सहायता समूह महिला और बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस रूप में प्रमाणित हो; और

(2) कि आगत कर मुजरा का कोई दावा ऐसे व्यवहारियों द्वारा उपर्युक्त माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची साम्रगी के क्रय के संबंध में नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-140]

राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.377.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में विनिर्मित ऐसी एस्बेस्टस सीमेण्ट चद्दरों और ईंटों, जिनकी अन्तर्वस्तु के वजन में 25 प्रतिशत या अधिक फ्लाई ऐश हो, के विक्रय को निम्नलिखित शर्तों पर कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(i) माल की प्रविष्टि विक्रेता व्यवहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में की जायेगी;
(ii) छूट, उस व्यवहारी द्वारा विनिर्मित ऐसे माल के लिए होगी जिसने दिनांक 31.12.2006 तक राज्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो; और
(iii) छूट दिनांक 23.01.2010 तक उपलब्ध होगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-141]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.378.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम और साथ ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अधीन गठित राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थान, सहकारी सोसाइटी और व्यष्टियों, जिनके पक्ष में 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, द्वारा विनिर्मित साबुन, ईंट, कोटा स्टोन, मार्बल और बलुआ पत्थर को छोड़कर उत्पादों के विक्रय को निम्नलिखित शर्तों पर कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है:-

(1) कि ऐसी छूट व्यष्टियों के लिए तीस लाख रुपये और अन्य के लिए एक करोड़ रुपये के उनके वार्षिक सकल पण्यावर्त (उपर्युक्त उल्लिखित माल के पण्यावर्त को छोडकर) पर ही उपलब्ध होगी;

(2) कि आगत कर मुजरा का कोई दावा ऐसे व्यवहारियों द्वारा उपर्युक्त छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री के क्रय के संबंध में नहीं किया जायेगा;

(3) कि इस अधिसूचना के प्रकाशन तक व्यवहारी द्वारा संगृहीत कर निक्षिप्त कराया जायेगा और यदि निक्षिप्त किया जाता है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और 31.03.2008 तक प्रभावी रहेगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-142]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.379.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की (समय-समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-12, दिनांक 15.04.2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शर्त सं.2(क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2007 तक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2008 तक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-143]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.380.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न प्ररुप डब्ल्यू.टी.-1 में,-

(i) टिप्पण सं. 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''पृथक संकर्म संविदा'', के पूर्व अभिव्यक्ति ''रंगाई, छपाई, प्रसंस्करण और समान क्रियाकलापों से संबंधित संकर्म संविदा की दशा में के सिवाय'' जोड़ी जायेगी; और

(ii) विद्यमान टिप्पण सं. 2 के पश्चात्, निम्नलिखित नया टिप्पण सं. 3 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''3. रंगाई, छपाई, प्रसंस्करण और ऐसे ही क्रियाकलापों से संबंधित संकर्म संविदा की दशा में, संविदाकार वर्ष का प्रारंभ होने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने या इस अधिसूचना के जारी होने, इनमें से जो भी बाद में हो, आवेदन की तारीख तक क्र.सं. 10 से संबंधित जानकारी के साथ आवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। विवरणी की कालावधि के दौरान निष्पादित समस्त संविदाओं की जानकारी भी विवरणी के साथ प्रस्तुत की जायेगी।''

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-144]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.381.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ''पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के लिए प्रशमन स्कीम'' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' निर्दिष्ट किया गया है) इसके द्वारा अधिसूचित करती है और ऐसे व्यवहारियों को राज्य के भीतर स्नेहक तेल, पीला कपड़ा और फैन बेल्ट के उनके विक्रयों के संबंध में नीचे विनिर्दिष्ट की गयी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रशमन रकम का संदाय करने पर उनके कर दायित्व के बदले प्रशमन रकम का विकल्प देने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:-

1. प्रारम्भ की तारीख.- यह स्कीम 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
2. लागू होना.-

2.01 यह स्कीम किसी पेट्रोलियम कम्पनी का खुदरा आउटलेट रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी पर लागू होगी।

2.02 यह स्कीम तब ही लागू होगी जब विकल्प देने वाला व्यवहारी इस स्कीम के अधीन आने वाले कराधेय माल के क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है।

3. प्रशमन रकम.-

व्यवहारी द्वारा कर के बदले प्रतिवर्ष संदत्त की जाने वाली रकम सुसंगत वर्ष में इस स्कीम के अधीन आने वाले माल के पण्यावर्त के संबंध में प्रत्येक 10,000/- रुपये या उसके भाग के लिए 100/- रुपये होगी।

4. प्रशमन रकम के संदाय की रीति.-

4.01 प्रशमन रकम चार त्रैमासिक किस्तों में संदत्त की जायेगी। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे त्रिमास के लिए, प्रत्येक त्रिमास के लिए किस्त, सुसंगत त्रिमास के ठीक उत्तरवर्ती मास के 7वें दिन अर्थात् क्रमशः 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी और 7 अप्रैल को संदत्त की जायेगी। सम्पूर्ण वर्ष के वास्तविक पण्यावर्त के अनुसार अन्तर, यदि कोई हो, संगणित किया जायेगा और प्रशमन रकम का अतिशेष, यदि कोई हो, ठीक उत्तरवर्ती वर्ष की 30 अप्रैल तक जमा कराया जायेगा।

4.02 वर्ष 2006-07 के लिए पहले से देय प्रशमन रकम की किस्त, और इस स्कीम के जारी होने के पूर्व संगृहीत और प्रभारित कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन के भीतर-भीतर जमा करायी जायेगी। शेष त्रैमासिक किस्तें व्यवहारी द्वारा स्कीम के अनुसार संदत्त की जायेंगी।

4.03 जहां कोई व्यवहारी वित्तीय वर्ष के दौरान नया कारबार प्रारम्भ करता है वहां पहले से देय प्रशमन रकम की किस्त जमा करायी जायेगी और उसका सबूत स्कीम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

5. प्रशमन प्रमाणपत्र.-

5.01 इस स्कीम का विकल्प देने वाला व्यवहारी सादे कागज पर आवेदन, जिसमें नाम, पता, प्रास्थिति, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, स्कीम के अधीन आने वाले माल के सकल वार्षिक पण्यावर्त और उनके संबंध में ठीक पूववर्ती वर्ष में संदत्त कर, यदि कोई है, और ऐसी अन्य सूचना जो इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सुसंगत हो, का उल्लेख करते हुए वर्ष का प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर-भीतर या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के तीस दिन के भीतर-भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तथापि, वर्ष 2006-2007 के लिए ऐसा आवेदन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.02 आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप पे. स्की.-2006 में प्रशमन प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रशमन प्रमाणपत्र प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

5.03 जहां कोई व्यवहारी नियत कालावधि के भीतर-भीतर स्कीम के लिए विकल्प देने में असफल हो जाता है वहां उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर स्कीम के फायदे लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) वह स्कीम के अधीन देय सम्पूर्ण रकम, उस पर ब्याज सहित, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित दर पर जमा करायेगा;

(ii) जहां वह नियत तारीख के तीन मास के भीतर-भीतर इस विकल्प का प्रयोग कर लेता है वहां स्कीम के अधीन जमा कराने के लिए अपेक्षित देय प्रशमन रकम के पच्चीस प्रतिशत रकम की विलम्ब फीस भी जमा करायेगा, तत्पश्चात् वह स्कीम के अधीन फायदों के लिए पात्र नहीं होगा; और

(iii) वह स्कीम के अधीन आवेदन करने के पूर्व प्रभारित या संगृहीत कर, यदि कोई हो, की सम्पूर्ण रकम राज्य सरकार को जमा करायेगा।

5.04 जहां कोई व्यवहारी स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रशमन रकम जमा कराने में असफल हो गया है वहां उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर स्कीम के फायदे लेना जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) वह ऐसी संपूर्ण रकम को, जो स्कीम के अधीन देय हो गयी है, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित दर पर ब्याज सहित जमा करायेगा;

(ii) वह विलम्ब फीस भी जमा करेगा जो स्कीम के अधीन जमा किये जाने के लिए अपेक्षित देय प्रशमन रकम की पच्चीस प्रतिशत की रकम होगी, जहां वह देय तारीख के तीन मास के भीतर देय किस्तें जमा करता है और यह विलम्ब फीस, देय रकम की पचास प्रतिशत होगी जहां वह, देय किस्तें तीन मास की उपर्युक्त कालावधि के पश्चात् किन्तु युसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व जमा करता है और इसके पश्चात् इस स्कीम के अधीन वह फायदों के लिए पात्र नहीं होगा।

6. प्रशमन प्रमाणपत्र का प्रतिवर्ष नवीकरण प्रशमन कालावधि की समाप्ति के तीस दिन पूर्व सादे कागज पर निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकेगा। आवेदन के साथ ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में के पण्यवर्त और प्रशमन रकम की जमा के ब्यौरा के साथ प्रशमन प्रमाणपत्र, संलग्न किया जायेगा।

7. व्यवहारी सुसंगत वर्ष की समाप्ति के साठ दिन के भीतर प्रशमन रकम के संदाय के समर्थन में चालानों की प्रति सहित स्कीम के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के माल का वार्षिक ब्यौरा फाइल करेगा।

8.0 शर्तें :

8.1 स्कीम के यथा-उपबंधित के सिवाय, स्कीम के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाला व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अव्यधीन होगा।

8.2 व्यवहारी प्रशमन कालावधि के दौरान माल के विक्रय पर क्रेता से कर का प्रभार और संग्रहण नहीं करेगा, तथापि, स्कीम का विकल्प देने के पूर्व व्यवहारी द्वारा प्रभारित या संग्रहीत कर तुरंत जमा कराया जायेगा और पूर्व में जमा कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

8.3 व्यवहारी, उसके द्वारा किये गये क्रयों के संबंध में किसी आगत कर मुजरा या प्रतिदाय का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

8.4 यदि कोई व्यवहारी किसी वर्ष के दौरान स्कीम से स्वेच्छा से हट जाता है तो उससे संपूर्ण प्रशमन रकम जमा करने की अपेक्षा की जायेगी यदि वर्ष के लिए पूर्व में तुरंत जमा नहीं की गयी है।

8.5 कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो स्कीम के अधीन प्रशमन रकम का संदाय करने का विकल्प देता है, उसके द्वारा स्टाक में के माल के संबंध में आगम कर का मुजरा, यदि कोई हो, का उपभोग किया गया है तो तुरंत प्रतिवर्ती कर दिया जायेगा।

8.6 कोई व्यवहारी, जो स्कीम के अधीन प्रशमन रकम का संदाय करने का विकल्प देता है तो वह ऐसा विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को स्टाक में के माल के संबंध में आगत कर मुजरा का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

8.7 स्कीम के अधीन प्रशमन रकम और कोई अन्य उद्ग्रहण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

8.8 जहां प्रशमन कालावधि के दौरान, कोई व्यवहारी स्कीम की किन्हीं शर्तो का अतिक्रमण करता है या कर के अपवंचन में सहायता या का दुष्प्रेरण करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रशमन प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है। यह, ऐसी कार्रवाई, दांडिक या अन्यथा, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिसके लिए व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन दायी होगा।

8.9 राज्य सरकार किसी भी समय स्कीम का पुनर्विलोकन कर सकेगी और स्कीम के किन्हीं या समस्त उपबंधों का, जैसा वह उचित समझे, संशोधन कर सकेगी। ऐसे संशोधन पर, व्यवहारी उसके अनुसार पुनरीक्षित प्रशमन रकम या कोई अन्य उद्ग्रहण का संदाय करेगा।

8.10 राज्य सरकार स्कीम का पुनर्विलोकन कर सकेगी और यह समाधान हो जाने पर कि स्कीम को जारी रखना लोक हित में नहीं है, तो वह स्कीम को तुरंत या ऐसी तारीख से, जो वह अधिसूचित करे, प्रतिसंहृत कर सकेगी।

प्ररूप पे. स्की. 2006
प्रशमन प्रमाणपत्र

''पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट के लिए प्रशमन स्कीम-2006''

पुस्तक सं. सर्किल :
क्र. सं. वार्ड :

''पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट के लिए प्रशमन स्कीम-2006'' के अधीन, मैं इसके द्वारा मैसर्स ..... (पता) ..... रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) ..... को उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार स्नेहक तेल, पीला कपड़ा और फेन बेल्ट के विक्रय पर ..... वर्ष के लिए कर के बदले में प्रशमन रकम जमा कराने की अनुज्ञा देता हूँ।

त्रैमासिक किस्तों का संदाय स्कीम के अनुसार किया जायेगा।

यह प्रमाणपत्र इसके और नवीकरण या रद्दकरण या स्कीम के प्रतिसंहरण के अव्यधीन, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पदनाम

यह प्रमाणपत्र ..... वर्ष के लिए नवीकृत किया जाता है : 1. ..... रकम .....

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
2. ..... रकम .....
निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-145]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.382.-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 4(99)एफडी/गुप-IV/89-38 दिनांक 27.06.1990 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देती है कि अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में राज्य में कारबार का स्थान रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किये गये छातों और उनके पुर्जों तथा उपसाधनों के विक्रय के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई भी कर संदेय नहीं होगा।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-146]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.383.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, हाई और लाइट स्पीड डीजल ऑयल को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-147]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.384.-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 9 के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उन इकाइयों के लिए अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.3.2006

(समय-समय पर यथा-संशोधित) या उद्योगों के लिए विक्रय कर आस्थगन स्कीम, 1987 (रा.वि. कर और के.वि. कर) या उद्योगों के लिए विक्रय की नयी आस्थगन स्कीम, 1989 या उद्योगों के लिए राजस्थान विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर आस्थगन स्कीम, 1998 या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कर के आस्थगन के प्रतिनिर्देश से जारी की गयी किसी भी अधिसूचना के अधीन कर के आस्थगन का फायदा प्राप्त कर रही है या जिन्होंने फायदा प्राप्त किया है, उपर्युक्त निर्दिष्ट स्कीमों/अधिसूचनाओं में यथा-विनिर्दिष्ट निक्षेप की नियत देय तारीख के पूर्व आस्थगित कर की रकम का निक्षेप करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपबंध करती है, अर्थात्:-

1. व्यवहारी उपर्युक्त निर्दिष्ट स्कीमों/अधिसूचनाओं के अधीन जारी विधिमान्य पात्रता प्रमाणपत्र या पात्रता धारण करता है;
2. ऐसा व्यवहारी इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में यथादर्शित ऐसी रकम का संदाय करके किसी कालावधि के संबंध में आस्थगित कर दायित्व को पूरा करने का विकल्प देता है;
3. ऐसा व्यवहारी आयुक्त, वाणिज्यिक कर को वह रकम जमा करने के सबूत के साथ इस आशय का आवेदन करता है;
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा आवेदन के अनुमोदन/स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् व्यवहारी का दायित्व उन्मोचित हो जाता है;
5. इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में यथादर्शित मालों में कालावधि की गणना के लिए केवल पूरे मास पर ही विचार किया जायेगा और उनके किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

सारणी

वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख के बीच की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत	वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत
1	99.25558	22	85.34244
2	98.52217	23	84.75115
3	97.79951	24	84.168
4	97.08738	25	83.54144
5	96.38554	26	82.92414
6	95.69378	27	82.31589
7	95.01188	28	81.7165
8	94.33962	29	81.12578
9	93.67681	30	80.54354
10	93.02326	31	79.9696
11	92.37875	32	79.40377
12	91.74312	33	78.8459
13	91.06017	34	78.29581
14	90.38731	35	77.75335
15	89.72432	36	77.21835
16	89.07099	37	76.64352
17	88.4271	38	76.07719
18	87.79246	39	75.51917
19	87.16686	40	74.96927
20	86.55011	41	74.42732
21	85.94203	42	73.89316

वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख के बीच की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत	वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत
43	73.3666	87	53.49968
44	72.8475	88	53.11012
45	72.33569	89	52.72619
46	71.83102	90	52.34777
47	71.33335	91	51.97475
48	70.84252	92	51.607
49	70.31516	93	51.24443
50	69.79559	94	50.88691
51	69.28364	95	50.53434
52	68.77915	96	50.18663
53	68.28195	97	49.81303
54	67.79189	98	49.44495
55	67.30881	99	49.08228
56	66.83257	100	48.72488
57	66.36302	101	48.37265
58	65.90002	102	48.02548
59	65.44344	103	47.68326
60	64.99314	104	47.34588
61	64.50932	105	47.01323
62	64.03265	106	46.68524
63	63.56297	107	46.36178
64	63.10013	108	46.04278
65	62.64399	109	45.70003
66	62.19439	110	45.36234
67	61.7512	111	45.02961
68	61.31428	112	44.70173
69	60.8835	113	44.37858
70	60.45873	114	44.06007
71	60.03985	115	43.74611
72	59.62673	116	43.43658
73	59.18286	117	43.13141
74	58.74555	118	42.83049
75	58.31465	119	42.53374
76	57.89003	120	42.24108
77	57.47155	121	41.92663
78	57.05907	122	41.61683
79	56.65248	123	41.31157
80	56.25163	124	41.01076
81	55.85642	125	40.71429
82	55.46673	126	40.42209
83	55.08243	127	40.13404
84	54.70342	128	39.85008
85	54.2962	129	39.5701
86	53.895	130	39.29403

वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख के बीच की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत	वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत
131	39.02178	175	28.43197
132	38.75329	176	28.2308
133	38.4648	177	28.03246
134	38.18058	178	27.83688
135	37.90052	179	27.64402
136	37.62455	180	27.4538
137	37.35256	181	27.24943
138	37.08448	182	27.04808
139	36.82022	183	26.84969
140	36.5597	184	26.65418
141	36.30284	185	26.4615
142	36.04957	186	26.27158
143	35.7998	187	26.08437
144	35.55347	188	25.89982
145	35.28881	189	25.71785
146	35.02805	190	25.53842
147	34.77112	191	25.36148
148	34.51793	192	25.18698
149	34.26841	193	24.99948
150	34.02246	194	24.81475
151	33.78002	195	24.63274
152	33.54101	196	24.45338
153	33.30536	197	24.2766
154	33.073	198	24.10237
155	32.84385	199	23.93062
156	32.61786	200	23.7613
157	32.37505	201	23.59436
158	32.13583	202	23.42975
159	31.90011	203	23.26741
160	31.66783	204	23.10732
161	31.43891	205	22.9353
162	31.21327	206	22.76583
163	30.99085	207	22.59884
164	30.77157	208	22.43429
165	30.55538	209	22.27211
166	30.3422	210	22.11227
167	30.13198	211	21.9547
168	29.92465	212	21.79936
169	29.70188	213	21.6462
170	29.48241	214	21.49518
171	29.26616	215	21.34625
172	29.05305	216	21.19937
173	28.84303	217	21.04156
174	28.63603	218	20.88608

वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख के बीच की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत	वास्तविक संदाय की तारीख और संदाय की बढ़ी हुई तारीख की मास में कालावधि	व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम का प्रतिशत
219	20.73288	230	19.16154
220	20.58192	231	19.02099
221	20.43313	232	18.88249
222	20.28648	233	18.74599
223	20.14192	234	18.61145
224	19.99941	235	18.47883
225	19.8589	236	18.34808
226	19.72035	237	18.21917
227	19.58372	238	18.09206
228	19.44897	239	17.96671
229	19.30419	240	17.84309

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-148]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.385.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2007 है

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 19 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 में,-

(i) उप-नियम (3) के खण्ड (झ) में अभिव्यक्ति ''यदि उपर्युक्त अपेक्षाओं में से'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''किसी भी एक अपेक्षा की पूर्ति नहीं की जाती है'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''खण्ड (ज) में यथा-उल्लिखित अपेक्षा के सिवाय'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात् और उप-नियम (4) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (3क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3क) व्यवहारी निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगाः-

(i) व्यापार लेखा और विनिर्माता की दशा में चतुर्थ त्रैमासिक विवरणी या, यथास्थिति, वार्षिक विवरणी के साथ व्यापार और विनिर्माण लेखा;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी की दशा में वर्ष की समाप्ति के नौ मास के भीतर और अन्य व्यवहारियों की दशा में छह मास के भीतर लाभ और हानि लेखा।''

3. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) ऐसा कोई व्यवहारी जो, माल के विक्रय पर संदाय कर के भुगतान से आंशिक या पूर्ण छूट का दावा करता है;

(i) राज्य में किसी अन्य व्यवहारी को माल के विक्रय पर कर के संदाय से भागतः या पूर्णतः छूट का दावा करता है अपनी विवरणी के साथ सुसंगत अधिसूचना/नियम के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित ऐसा घोषणा प्ररुप/प्रमाणपत्र देगा;

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अर्थान्तर्गत भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर उस निर्यात के अनुक्रम में माल के विक्रय पर कर के संदाय से भागतः या पूर्णतः छूट का दावा करता है अपनी विवरणी के साथ निर्यातक से अभिप्राप्त और उसके द्वारा सम्यक् रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित एक घोषणा प्ररुप मूपक-15 में प्रस्तुत करेगाः

परन्तु आयुक्त यह समाधान होने पर और ऐसा करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे घोषणा प्ररुप/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की कालावधि को बढ़ा सकेगाः

परन्तु यह और कि 31 मार्च, 2007 तक संपूरित निर्धारणों के लिए व्यवहारी 30 जून, 2007 तक घोषणा प्ररुप/प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।''

4. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियम के नियम 22 में;

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''और'' हटायी जायेगी।

(ii) मालिक द्वारा अभिकर्ता को परेषित माल का विक्रय मूल्य जहां ऐसा विक्रय प्ररुप मूपक 35, मूपक 36 और मूपक 36 क के अन्तर्गत है।

(iii) विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और उप-नियम (3) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (2 क) अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2क) ऐसी संकर्म संविदा की दशा में जहां कोई संकर्म संविदाकार धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट फीस के विकल्प का प्रयोग करता है, ऐसी संविदा को पूर्णतः या भागतः किसी उप-संविदाकार को

अवार्ड करता है वहां उप-संविदाकार के कराधेय पण्यावर्त के अवधारण के दौरान, उप-नियम (1) के अधीन उपबंधित कटौती के अलावा, ऐसी उप-संविदा के निष्पादन में अन्तवर्लित माल में सम्पत्ति के अन्तरण के पण्यावर्त को घटाया जायेगा।''

5. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 में,

(i) विद्यमान उप-नियम (2), (3) और (4) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2) जहां मालिक उप-नियम (1) के अधीन अपने कमीशन अभिकर्ता को विक्रय के लिए माल प्रेषित करता है और अपने कमीशन अभिकर्ता से प्राप्त मूपक 36 में विक्रय आगमों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है वहां ऐसा मालिक मूपक 36 और मूपक 36-क के अनुसार अपने कर दायित्व का उन्मोचन करेगा।

(3) जहां अभिकर्ता यह दावा करता है कि वह अपने मालिक द्वारा उसे विक्रय के लिए प्रेषित माल के संबंध में अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी नहीं है वहां यह साबित करने का भार अभिकर्ता पर होगा कि ऐसे माल के संबंध में कर मालिक द्वारा संदत्त कर दिया गया है, और इस प्रयोजन के लिए वह निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष मालिक द्वारा प्ररुप मूपक 35 में जारी किये गये प्रेषण टिप्पण के साथ उसके द्वारा प्ररुप 36 में जारी किये गये विक्रय आगम के प्रमाणपत्र और ऐसे विक्रय के संबंध में कर के निक्षेप के सबूत में मालिक द्वारा जारी किया गया प्ररुप मूपक 36-क प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां निर्धारण प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि प्ररुप मूपक 35, 36 और 36-क में के प्रमाणपत्र की विशिष्टियां और अंतर्वस्तु सही है वहां वह कमीशन अभिकर्ता के दावे को स्वीकार करेगा।''

(ii) विद्यमान उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''(6) खाली घोषणा प्ररुप मूपक 36 और मूपक 36-क, 25(पच्चीस) घोषणा प्ररुपों से युक्त प्रत्येक पुस्तिका के लिए 50/- रु0 की राशि का सरकारी खजाने/प्राधिकृत बैंक या निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में संदाय कर निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्राप्त किये जायेंगे।''

6. नियम 39 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 39 के उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''कार्यालय में मांगदेय ड्राफ्ट प्राप्त होता है या चैक भुनाया जाता है'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या कोई मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चैक भुनाया जाता है'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 44 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 44 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राज्य सरकार धारा 77 के अधीन किसी जांच-चौकी विशेष या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए संविदा के आधार पर राज्य में कर संग्रहण करने के लिए आयुक्त को निदेश दे'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त धारा 77 के अधीन किसी जांच-चौकी

विशेष या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए संविदा के आधार पर राज्य में कर सग्रहण करने के लिए अनुज्ञा दे'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 53 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 53 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''सशक्त अधिकारी'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्राधिकृत अधिकारी'' प्रतिस्थपित की जायेगी।

9. नियम 54 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 54 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''सशक्त अधिकारी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्राधिकृत अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 81 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 81 के उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूपक 15'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूपक 38'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''मूपक 36, मूपक 36-क'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

11. प्ररुप मूपक 10 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक 10 में,-

(i) खण्ड 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''कर कालावधि'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''विवरणी कालावधि'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड 4.2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''कर कालावधि'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''विवरणी कालावधि'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड 13, 13.1 और 13.3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''आस्थगन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आस्थगन/छूट'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) खण्ड 13.6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''आस्थगित'' हटायी जायेगी;

(v) अनुदेशों में क्र.स. 3 की प्रविष्टियां ''क'' और ''ख'' हटायी जायेगी।

12. प्ररुप मूपक 13 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक 13 में, विद्यमान खण्ड 1 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 1-क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''1-क. कालावधि जिससे जानकारी सम्बन्धित है ----- से ------ तक''

13. प्ररुप मूपक 20 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रतिदाय के कारण'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दावाकृत प्रतिदाय की रकम और उसके कारण'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. प्ररुप मूपक 36 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-36

(नियम 22 और 37 देखिए)

कमीशन अभिकर्ता द्वारा मालिक को विक्रय आगमों का प्रमाणपत्र

क्रम सं. ..... प्रतिपर्ण/मूल/दूसरी प्रति

मालिक का ब्यौरा :

1. व्यवहारी का नाम .....

.....

2. रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) .....
3. पता भवन सं./नाम/क्षेत्र .....
क्षेत्र/सड़क .....
परिक्षेत्र/बाजार .....
पिनकोड .....
ई–मेल आई डी .....
दूरभाष सं. .....
फैक्स सं. .....

4. अभिकर्ता द्वारा विक्रीत माल का विवरण :

मूपक बीजक		माल का नाम	मूपक–35 द्वारा प्राप्त माल		थैलों या पैकेटों की मात्रा/सं.	वजन	दर	रकम (रु.)	व्यय (रु.)	मूपक
सं.	तारीख		सं.	तारीख						

(1) माल भाड़ा
(2) गौशाला
(3) अन्तरण प्रभार
(4) तुलाई प्रभार
(5) परिदान प्रभार
(6) मजदूरी
(7) गाड़ी भाड़ा
(8) अन्य प्रभार

योग :
कमीशन :
महायोग :

हस्ताक्षर

नाम :
हैसियत :

स्थान
तारीख

सत्यापन

मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नक में दी गयी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम :
हैसियत :

स्थान
तारीख

15. नया प्ररुप मूपक 36क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-36 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप-36क जोड़ा जायेगा; अर्थात् :-

''प्ररूप मूपक - 36 क

(नियम 22 और 37 देखिए)

मालिक द्वारा अपने अभिकर्ता को कर निक्षेप के सबूत के रूप में जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

क्रम सं.---------- प्रतिपर्ण/मूल/दूसरी प्रति

1. व्यवहारी का नाम
2. पता
   भवन सं./नाम/क्षेत्र
   नगर/शहर
   जिला (राज्य)
   पिनकोड ई-मेल आई डी
   दूरभाष सं. फैक्स सं.
3. (क) अभिकर्ता का नाम
   (ख) रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)
   (ग) पता
   (घ) भवन सं./नाम/क्षेत्र
   (ङ) नगर/शहर
   (च) पिनकोड ई-मेल आई डी
   (छ) दूरभाष सं. फैक्स सं.
4. कमीशन अभिकर्ता द्वारा विक्रीत माल का विवरणः-

क्र. सं.	मूपक 36 का क्र.स.	तारीख	विक्रय आगम (रु. में)	कर दायित्व का प्रोद्भूत होना (रु. में)	कर दायित्व का उन्मोचन (रु. में)		तारीख और लेखा पन्ना सं.
					आ क मु का दावा करके, यदि प्रयोज्य हो (रु. में)	कर की रकम जमा कराके	

हस्ताक्षर

नाम

हैसियत

सत्यापन

मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त स्तम्भ सं. 4 में दर्शाये गये विक्रय आगम मेरे/हमारे द्वारा नियमित लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं और कमीशन अभिकर्ता के पास प्रोद्भूत कर दायित्व मेरे/हमारे द्वारा उन्मोचित किया गया है/किये गये हैं।

हस्ताक्षर

नाम

हैसियत

स्थान

तारीख

16. प्ररुप मूपक 48 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक 48 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रयुक्त प्ररुप मूपक 47 का विवरण'' के स्थान पर अभिव्यक्ति'' आयात/प्रयुक्त प्ररुप मूपक-47 का विवरण'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. प्ररुप 50 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप 50 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रयुक्त प्ररुप मूपक 49'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अन्तरराज्यिक विक्रय/प्रयुक्त प्ररुप मूपक-49 का विवरण'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-149]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.386.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं. एफ 12(14)एफडी/टैक्स/2006-137, दिनांक 08.03.2006 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में :-

(1) विद्यमान क्र.सं. 14 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(2) विद्यमान क्र.सं. 57 और उसकी प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्र.सं. और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

''	58	पी पी/ एच डी पी ई वूवन फैब्रिक्स	4 ''

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-150]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.387.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.12(63)वित्त/कर/2005-160 दिनांक 31.3.2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

(1) विद्यमान क्र.सं. 8 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(2) विद्यमान क्र.सं. 48 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''49 पी पी/ एच डी पी ई वूवन फैब्रिक्स''

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-151]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.388.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, ग्वार चाहे साबुत हो या खण्डित जिसमें दाल, चाहे परिष्कृत हो या नहीं, सम्मिलित है और ग्वार गम को उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से 08.02.2007 से इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-152]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.389.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 10 (14)एफ/टैक्स डिवी./97/पार्ट-112 दिनांक 14.01.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार अधिसूचित करती है कि कर की दर किसी म्नोरंजन में प्रवेश के संदाय की 35 प्रतिशत होगी।

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रेल, 2007 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-153]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.390.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं. एफ. 4(4)एफ.डी/टैक्स डिवी./99-249, दिनांक 13.11.1999 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2007'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2008'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-154]
राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण गुप्ता)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.391.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में विद्यमान समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिलों/उपजिलों का गठन तथा उसकी सीमाओं का निर्धारण निम्नानुसार करती है; अर्थात् :–

क्र.सं.	जिला	उपजिला	रजिस्ट्रीकरण जिलों/उपजिलों की सीमायें
1	2	3	4
1	अजमेर	1. अजमेर	तहसील अजमेर
			तहसील ब्यावर
			तहसील भिनाय
			उप तहसील बिजयनगर
			तहसील केकडी
			तहसील किशनगढ़
			तहसील नसीराबाद
			उप तहसील पुष्कर
			तहसील सरवाड
			अति. तहसील टाटगढ़
			तहसील मसूदा
			तहसील पीसागन
			उप तहसील रूपनगढ़
2	अलवर	2. अलवर	तहसील अलवर
			उप तहसील बहादुरपुर
			तहसील बहरोड
			तहसील बानसूर
			उप तहसील गोविन्दगढ़
			तहसील किशनगढ़वास
			तहसील कठूमर
			तहसील लक्ष्मणगढ़
			उप तहसील मालाखेडा
			उप तहसील नीमराना
			उप तहसील रैणी
			तहसील राजगढ़
			तहसील रामगढ़
			उप तहसील टपूकडा
			तहसील थानागाजी
			तहसील मुण्डावर
			तहसील तिजारा,
			तहसील कोटकासिम
3	बांसवाडा	3. बांसवाडा	तहसील बागीदोरा तहसील बांसवाडा
			उप तहसील भूखिया तहसील गढ़ी
			तहसील घाटोल

			तहसील कुशलगढ़
			उप तहसील पीपलखूंट
			उप तहसील सज्जनगढ़
4	बांरा	4. बांरा	तहसील बांरा
			तहसील छीपाबडौद
			तहसील छबडा
			तहसील मांगरोल
			तहसील शाहबाद
			उप तहसील केलवाडा
			तहसील अटरू
			तहसील अन्ता
			तहसील किशनगंज
5	बाडमेर	5. बाडमेर	तहसील बाडमेर
			तहसील चौहटन
			तहसील गुडामालानी
			उप तहसील गडरारोड
			तहसील पंचपदरा
			तहसील शिव
			तहसील सिवाना
			तहसील बायतू
			तहसील रामसर
			उप तहसील गिडा
			उप तहसील जसोल
			उप तहसील सिन्धरी
			उप तहसील सेडवा
6	भरतपुर	6. भरतपुर	तहसील भरतपुर
			तहसील बयाना
			तहसील नदबई
			तहसील डीग
			तहसील कुम्हेर
			तहसील कांमा
			तहसील पहाडी
			तहसील रूपवास
			तहसील नगर
			तहसील वैर
			उप तहसील सीकरी
			उप तहसील उच्चेन
			उप तहसील भुसावर
7	भीलवाड़ा	7. भीलवाड़ा	तहसील आसीन्द
			अतिरिक्त तहसील बदनौर
			तहसील बनेडा
			तहसील भीलवाडा
			तहसील बिजौलिया
			उप तहसील हमीरगढ़
			तहसील हुरडा
			तहसील जहाजपुर
			अतिरिक्त तहसील करेडा
			तहसील कोटडी
			तहसील माण्डल

			तहसील माण्डलगढ़
			उप तहसील फुलियाकला
			तहसील रायपुर
			तहसील सहाडा
			तहसील शाहपुरा
8	बीकानेर	8. बीकानेर	तहसील बीकानेर
			उप तहसील बज्जू
			तहसील छत्रगढ़
			तहसील डूंगरगढ़
			तहसील कोलायत
			तहसील खाजूवाला
			तहसील लूणकरणसर
			तहसील नोखा
			तहसील पूंगल
9	बूंदी	9. बूंदी	तहसील बूंदी
			तहसील नैनवां
			तहसील हिण्डोली
			उप तहसील तालेडा
			तहसील केशोरायपाटन
			तहसील इन्द्रगढ़,
			उप तहसील देई
10	चित्तौड़गढ़	10. चित्तौड़गढ़	तहसील अरनोद
			तहसील बडीसादडी
			तहसील बैंगू
			तहसील भैसरोडगढ़
			उप तहसील भोपालसागर
			तहसील चित्तौडगढ़
			तहसील छोटीसादडी
			उप तहसील देवगढ़
			तहसील डूंगला
			तहसील गंगरार
			तहसील कपासन
			तहसील निम्बाहेडा
			उप तहसील पारसोली
			तहसील प्रतापगढ़
			तहसील राशमी
			तहसील भदेसर
			उप तहसील भादसोडा
11	चूरू	11. चूरू	अतिरिक्त तहसील बीदासर
			उप तहसील भानीपुरा
			तहसील चूरू
			तहसील राजगढ़
			तहसील रतनगढ़
			तहसील सरदारशहर
			तहसील सुजानगढ़
			उप तहसील सिद्धमुख
			तहसील तारानगर
12	दौसा	12. दौसा	तहसील दौसा
			तहसील सिकराय

			तहसील लालसोट
			तहसील महुवा
			तहसील बसवा
			उप तहसील लवाण
13	धोलपुर	13. धौलपुर	तहसील धौलपुर
			तहसील राजाखेडा
			उप तहसील मनियां
			तहसील सेपऊ
			तहसील बाडी
			तहसील बसेडी
			अतिरिक्त तहसील सरमथुरा
			उप तहसील कंचनपुरा
14	डूंगरपुर	14. डूंगरपुर	तहसील आसपुर
			तहसील डूंगरपुर
			तहसील सागवाडा
			तहसील सिमलवाडा
			उप तहसील गलियाकोट
			उप तहसील चिखली
15	हनुमानगढ़	15. हनुमानगढ़	तहसील हनुमानगढ़
			तहसील पीलीबंगा
			तहसील सांगरिया
			तहसील टिब्बी
			तहसील रावतसर
			तहसील नोहर
			तहसील भादरा
			उप तहसील छानीवडी
			उप तहसील पल्लू
			उप तहसील डबलीराठान
16	जयपुर	16. जयपुर	तहसील जयपुर
			तहसील आमेर
			तहसील विराटनगर
			तहसील बस्सी
			तहसील चाकसू
			तहसील चौंमू
			तहसील मोजमाबाद
			तहसील जमवारामगढ़
			उप तहसील किशनगढ़ रैनवाल
			उप तहसील कोटखांवदा
			तहसील कोटपूतली
			तहसील फागी
			तहसील सांभर
			तहसील सांगानेर
			तहसील शाहपुरा
			उप तहसील माधोराजपुरा
			उप तहसील दूदू
			उप तहसील कालवाड
17	जैसलमेर	17. जैसलमेर	तहसील जैसलमेर
			तहसील पोकरण
			तहसील फतेहगढ़

18	जालौर	18. जालौर	तहसील आहोर
			उप तहसील चीतलवाना
			उप तहसील भाद्राजून
			तहसील भीनमाल
			तहसील जालौर
			तहसील रानीवाडा
			तहसील सांचौर
			तहसील सायला
			तहसील बागोडा
19	झालावाड	19. झालावाड	तहसील झालरापाटन
			उप तहसील असनावर
			तहसील अकलेरा
			तहसील पचपहाड
			तहसील खानपुर
			तहसील पिडावा
			उप तहसील सुनेल
			तहसील गंगधार
			तहसील मनोहरथाना
			उप तहसील बकानी
			उप तहसील डग
20	झुन्झनू	20. झुन्झनू	अतिरिक्त तहसील बुहाना
			तहसील चिडावा
			तहसील झुन्झनू
			तहसील खेतडी
			उप तहसील मलसीसर
			तहसील नवलगढ़
			उप तहसील सूरजगढ़
			तहसील उदयपुरवाटी
21	जोधपुर	21. जोधपुर	तहसील जोधपुर
			तहसील बिलाडा
			उप तहसील बालेसर
			तहसील भोपालगढ़
			तहसील औंसिया
			तहसील फलौदी
			तहसील शेरगढ़
			तहसील लूनी
			उप तहसील बाप
			उप तहसील तिवरी
			उप तहसील झंवर
22	करौली	22. करौली	तहसील हिण्डौन
			तहसील करौली
			तहसील टोडाभीम
			तहसील नादौती
			तहसील सपोटरा
			उप तहसील करणपुर
			तहसील मण्ड्रायल
			उप तहसील मासलपुर
23	कोटा	23. कोटा	तहसील लाडपुरा
			तहसील रामगंजमंडी

			तहसील सांगोद
			तहसील दीगोद
			तहसील पीपल्दा
			उप तहसील मण्डाना
			उप तहसील चेचट
			उप तहसील कनवास
24	नागौर	24. नागौर	तहसील डीडवाना
			तहसील डेगाना
			तहसील जायल
			तहसील खींवसर
			अतिरिक्त तहसील कुचामनसिटी
			तहसील लाडनूं
			तहसील मकराना
			तहसील मेडतासिटी
			तहसील नागौर
			तहसील नावां
			तहसील परबतसर
			उप तहसील पीलवा
			उप तहसील रियां
			उप तहसील सांजू
			उप तहसील मोलासर
			उप तहसील भैरून्दा
			उप तहसील डेह
25	पाली	25. पाली	तहसील बाली
			तहसील देसूरी
			तहसील जैतारण
			तहसील मारवाड जं0 (खारची)
			तहसील पाली
			तहसील रायपुर
			तहसील रोहट
			तहसील सुमेरपुर
			तहसील सोजत
26	राजसमन्द	26. राजसमन्द	तहसील आमेट
			तहसील भीम
			तहसील देवगढ़
			उप तहसील गढ़बोर
			तहसील कुम्भलगढ़
			उप तहसील कुवारियां,
			तहसील नाथद्वारा
			तहसील राजसमन्द
			तहसील रेलमगरा
			उप तहसील सरदारगढ़
			उप तहसील खमनौर
27	सवाईमाधोपुर	27. सवाई माधोपुर	तहसील वामनवास
			तहसील बौली
			तहसील चौथ का बरवाडा
			तहसील गंगापुर
			तहसील खण्डार
			तहसील मलारना डूंगर

			तहसील सवाई माधोपुर
			उप तहसील बरनाला
			उप तहसील वजीरपुर
			उप तहसील बहराउण्डा कलां
28	श्रीगंगानगर	28. श्रीगंगानगर	तहसील श्रीगंगानगर
			तहसील अनूपगढ़
			उप तहसील बीझबायला
			तहसील सूरतगढ़
			तहसील सादुलशहर
			तहसील श्रीकरणपुर
			उप तहसील गजसिंहपुर
			तहसील घडसाना
			उप तहसील चुनावढ़
			तहसील रायसिंहनगर
			उप तहसील केसरीसिंहपुर
			तहसील पदमपुर
			उप तहसील मुकलावा
			उप तहसील हिन्दुमलकोट
			तहसील श्रीविजयनगर
29	सीकर	29. सीकर	तहसील दातारामगढ़
			तहसील फतेहपुर
			तहसील लक्ष्मणगढ़
			उप तहसील खण्डेला
			उप तहसील पलसाना
			तहसील नीमकाथाना
			अतिरिक्त तहसील रामगढ़
			तहसील सीकर
			तहसील श्रीमाधोपुर
30	सिरोही	30. सिरोही	तहसील आबूरोड
			उप तहसील भांवरी
			तहसील पिण्डवाडा
			तहसील रेवदर
			तहसील सिरोही
			तहसील शिवगंज
			उप तहसील कालन्द्री
			उप तहसील मण्डार
31	टोंक	31. टोंक	तहसील देवली
			तहसील मालपुरा
			उप तहसील नगरफोर्ट
			तहसील निवाई
			तहसील टोडाराय सिंह
			तहसील टोंक
			तहसील उनियारा
			तहसील पीपलू
			उप तहसील बनेठा
			उप तहसील दूनी
32	उदयपुर	32. उदयपुर	उप तहसील बांरापाल
			उप तहसील भिण्डर
			तहसील धरियाबाद

			तहसील गोगुन्दा
			तहसील कोटडा
			उप तहसील कानोड
			तहसील खेरवाडा
			उप तहसील कुरावड
			उप तहसील लसाडिया
			तहसील मावली
			तहसील झाडोल
			तहसील सलुम्बर
			तहसील सराडा
			तहसील वल्लभनगर
			उप तहसील सनवाड
			तहसील गिर्वा

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-155]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.392.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उप-रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित समस्त विद्यमान अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर उनके सामने अंकित रजिस्ट्रीकरण उप जिले के लिए उप-रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, अर्थात् :-

उपरजिस्ट्रार	उपजिला
1	2
1. उप रजिस्ट्रार अजमेर प्रथम	अजमेर
2. उप रजिस्ट्रार अजमेर द्वितीय	
3. उप रजिस्ट्रार ब्यावर	
4. तहसीलदार भिनाय	
5. नायब तहसीलदार बिजयनगर	
6. तहसीलदार केकडी	
7. उप रजिस्ट्रार किशनगढ़	
8. तहसीलदार नसीराबाद	
9. नायब तहसीलदार पुष्कर	
10. तहसीलदार सरवाड	
11. अतिरिक्त तहसीलदार टाटगढ़	
12. तहसीलदार मसूदा	
13. तहसीलदार पीसागन	
14. नायब तहसीलदार रूपनगढ़	
1. उप रजिस्ट्रार अलवर	अलवर
2. नायब तहसीलदार बहादुरपुर	

3.	उप रजिस्ट्रार बहरोड	
4.	तहसीलदार बानसूर	
5.	नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़	
6.	तहसीलदार किशनगढ़वास	
7.	तहसीलदार कठूमर	
8.	तहसीलदार लक्ष्मणगढ़	
9.	नायब तहसीलदार मालाखेडा	
10.	नायब तहसीलदार नीमराना	
11.	नायब तहसीलदार रैणी	
12.	तहसीलदार राजगढ़	
13.	उप रजिस्ट्रार रामगढ़	
14.	नायब तहसीलदार टपूकडा	
15.	तहसीलदार थानागाजी	
16.	उप रजिस्ट्रार मुण्डावर	
17.	उप रजिस्ट्रार तिजारा	
18.	तहसीलदार कोटकासिम	
19.	उप रजिस्ट्रार भिवाडी	
1.	तहसीलदार बागीदोरा	बांसवाडा
2.	उप रजिस्ट्रार बांसवाडा	
3.	नायब तहसीलदार भूखिया	
4.	तहसीलदार गढ़ी	
5.	तहसीलदार घाटोल	
6.	तहसीलदार कुशलगढ़	
7.	नायब तहसीलदार पीपलखूंट	
8.	नायब तहसीलदार सज्जनगढ़	
1.	उप रजिस्ट्रार बांरा	बांरा
2.	तहसीलदार छीपाबडौद	
3.	तहसीलदार छबडा	
4.	तहसीलदार मांगरोल	
5.	तहसीलदार शाहबाद	
6.	नायब तहसीलदार केलवाडा	
7.	तहसीलदार अटरू	
8.	तहसीलदार अन्ता	
9.	तहसीलदार किशनगंज	
1.	उप रजिस्ट्रार बाडमेर	बाडमेर
2.	तहसीलदार चौहटन	
3.	तहसीलदार गुडामालानी	
4.	नायब तहसीलदार गंडारोड	
5.	तहसीलदार पंचपदरा	
6.	तहसीलदार शिव	
7.	तहसीलदार सिवाना	
8.	तहसीलदार बायतू	
9.	तहसीलदार रामसर	
10.	नायब तहसीलदार गिडा	
11.	नायब तहसीलदार जसोल	
12.	नायब तहसीलदार सिन्धरी	
13.	नायब तहसीलदार सेडवा	
1.	उप रजिस्ट्रार भरतपुर	भरतपुर
2.	उप रजिस्ट्रार बयाना	
3.	तहसीलदार नदबई	
4.	तहसीलदार डीग	
5.	तहसीलदार कुम्हेर	
6.	तहसीलदार कांमा	
7.	तहसीलदार पहाडी	

8.	तहसीलदार रूपवास	
9.	तहसीलदार नगर	
10.	तहसीलदार वैर	
11.	नायब तहसीलदार सीकरी	
12.	नायब तहसीलदार उच्चेन	
13.	नायब तहसीलदार भुसावर	
1.	तहसीलदार आसीन्द	भीलवाडा
2.	अतिरिक्त तहसीलदार बदनौर	
3.	तहसीलदार बनेडा	
4.	उप रजिस्ट्रार भीलवाडा	
5.	तहसीलदार बिजौलिया	
6.	नायब तहसीलदार हमीरगढ़	
7.	तहसीलदार हुरडा	
8.	तहसीलदार जहाजपुर	
9.	अतिरिक्त तहसीलदार करेडा	
10.	तहसीलदार कोटडी	
11.	तहसीलदार माण्डल	
12.	तहसीलदार माण्डलगढ़	
13.	नायब तहसीलदार फुलियाकला	
14.	तहसीलदार रायपुर	
15.	तहसीलदार सहाडा	
16.	तहसीलदार शाहपुरा	
1.	उप रजिस्ट्रार बीकानेर	बीकानेर
2.	नायब तहसीलदार बज्जू	
3.	तहसीलदार छत्रगढ़	
4.	तहसीलदार डूंगरगढ़	
5.	तहसीलदार कोलायत	
6.	तहसीलदार खाजूवाला	
7.	तहसीलदार लूणकरणसर	
8.	तहसीलदार नोखा	
9.	तहसीलदार पूंगल	
1.	उप रजिस्ट्रार बूंदी	बूंदी
2.	तहसीलदार नैनवां	
3.	तहसीलदार हिण्डोली	
4.	नायब तहसीलदार तालेडा	
5.	तहसीलदार केशोरायपाटन	
6.	तहसीलदार इन्द्रगढ़	
7.	नायब तहसीलदार देई	
1.	तहसीलदार अरनोद	चित्तौड़गढ़
2.	तहसीलदार बडीसादडी	
3.	तहसीलदार बैंगू	
4.	तहसीलदार भैंसरोडगढ़	
5.	नायब तहसीलदार भोपालसागर	
6.	उप रजिस्ट्रार चित्तौडगढ़	
7.	तहसीलदार छोटीसादडी	
8.	नायब तहसीलदार देवगढ़	
9.	तहसीलदार डूंगला	
10.	तहसीलदार गंगरार	
11.	तहसीलदार कपासन	
12.	तहसीलदार निम्बाहेडा	
13.	नायब तहसीलदार पारसोली	
14.	तहसीलदार प्रतापगढ़	
15.	तहसीलदार राशमी	
16.	तहसीलदार भदेसर	

17.	नायब तहसीलदार भादसोडा	
1.	अतिरिक्त तहसीलदार बीदासर	चूरू
2.	नायब तहसीलदार भानीपुरा	
3.	उप रजिस्ट्रार चूरू	
4.	तहसीलदार राजगढ़	
5.	तहसीलदार रतनगढ़	
6.	तहसीलदार सरदारशहर	
7.	तहसीलदार सुजानगढ़	
8.	नायब तहसीलदार सिद्धमुख	
9.	तहसीलदार तारानगर	
1.	उप रजिस्ट्रार दौसा	दौसा
2.	तहसीलदार सिकराय	
3.	तहसीलदार लालसोट	
4.	तहसीलदार महुवा	
5.	तहसीलदार बसवा	
6.	नायब तहसीलदार लवाण	
1.	उप रजिस्ट्रार धौलपुर	धौलपुर
2.	तहसीलदार राजाखेडा	
3.	नायब तहसीलदार मनियां	
4.	तहसीलदार सेपऊ	
5.	तहसीलदार बाडी	
6.	तहसीलदार बसेडी	
7.	अतिरिक्त तहसीलदार सरमथुरा	
8.	नायब तहसीलदार कंचनपुरा	
1.	तहसीलदार आसपुर	डूंगरपुर
2.	उप रजिस्ट्रार डूंगरपुर	
3.	तहसीलदार सागवाडा	
4.	तहसीलदार सिमलवाडा	
5.	नायब तहसीलदार गलियाकोट	
6.	नायब तहसीलदार चिखली	
1.	उप रजिस्ट्रार हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2.	तहसीलदार पीलीबंगा	
3.	उप रजिस्ट्रार सांगरिया	
4.	तहसीलदार टिब्बी	
5.	तहसीलदार रावतसर	
6.	उप रजिस्ट्रार नोहर	
7.	तहसीलदार भादरा	
8.	नायब तहसीलदार छानीवडी	
9.	नायब तहसीलदार पल्लू	
10.	नायब तहसीलदार डबलीराठान	
1.	उप रजिस्ट्रार जयपुर प्रथम	जयपुर
2.	उप रजिस्ट्रार जयपुर द्वितीय	
3.	उप रजिस्ट्रार जयपुर तृतीय	
4.	उप रजिस्ट्रार जयपुर चतुर्थ	
5.	उप रजिस्ट्रार जयपुर पंचम	
6.	उप रजिस्ट्रार जयपुर षष्ठम	
7.	उप रजिस्ट्रार जयपुर सप्तम	
8.	उप रजिस्ट्रार जयपुर अष्ठम	
9.	उप रजिस्ट्रार आमेर	
10.	तहसीलदार विराटनगर	
11.	उप रजिस्ट्रार बस्सी	
12.	तहसीलदार चाकसू	
13.	उप रजिस्ट्रार चौंमू	
14.	तहसीलदार मोजमाबाद	

15.	तहसीलदार जमवारामगढ़	
16.	नायब तहसीलदार किशनगढ़ रैनवाल	
17.	नायब तहसीलदार कोटखांवदा	
18.	उप रजिस्ट्रार कोटपूतली	
19.	तहसीलदार फागी	
20.	तहसीलदार सांभर	
21.	उप रजिस्ट्रार सांगानेर प्रथम	
22.	उप रजिस्ट्रार सांगानेर द्वितीय	
23.	तहसीलदार शाहपुरा	
24.	नायब तहसीलदार माधोराजपुरा	
25.	नायब तहसीलदार दूदू	
26.	नायब तहसीलदार कालवाड़	
1.	उप रजिस्ट्रार जैसलमेर	जैसलमेर
2.	तहसीलदार पोकरण	
3.	तहसीलदार फतेहगढ़	
1.	तहसीलदार आहोर	जालौर
2.	नायब तहसीलदार चीतलवाना	
3.	नायब तहसीलदार भाद्राजून	
4.	उप रजिस्ट्रार भीनमाल	
5.	उप रजिस्ट्रार जालौर	
6.	तहसीलदार रानीवाडा	
7.	तहसीलदार सांचौर	
8.	तहसीलदार सायला	
9.	तहसीलदार बागोडा	
1.	उप रजिस्ट्रार झालरापाटन	झालावाड़
2.	नायब तहसीलदार असनावर	
3.	तहसीलदार अकलेरा	
4.	तहसीलदार पचपहाड	
5.	तहसीलदार खानपुर	
6.	तहसीलदार पिडावा	
7.	नायब तहसीलदार सुनेल	
8.	तहसीलदार गंगधार	
9.	तहसीलदार मनोहरथाना	
10.	नायब तहसीलदार बकानी	
11.	नायब तहसीलदार डग	
1.	अतिरिक्त तहसीलदार बुहाना	झुन्झनू
2.	तहसीलदार चिडावा	
3.	उप रजिस्ट्रार झुन्झनू	
4.	तहसीलदार खेतडी	
5.	नायब तहसीलदार मलसीसर	
6.	तहसीलदार नवलगढ़	
7.	नायब तहसीलदार सूरजगढ़	
8.	तहसीलदार उदयपुरवाटी	
1.	उप रजिस्ट्रार जोधपुर प्रथम	जोधपुर
2.	उप रजिस्ट्रार जोधपुर द्वितीय	
3.	उप रजिस्ट्रार जोधपुर तृतीय	
4.	तहसीलदार बिलाडा	
5.	नायब तहसीलदार बालेसर	
6.	तहसीलदार भोपालगढ़	
7.	तहसीलदार औंसिया	
8.	तहसीलदार फलौदी	
9.	तहसीलदार शेरगढ़	
10.	तहसीलदार लूनी	
11.	नायब तहसीलदार बाप	

12.	नायब तहसीलदार तिवरी	
13.	नायब तहसीलदार झंवर	
1.	उप रजिस्ट्रार हिण्डौन	करौली
2.	तहसीलदार करौली	
3.	तहसीलदार टोडाभीम	
4.	तहसीलदार नादौती	
5.	तहसीलदार सपोटरा	
6.	नायब तहसीलदार करणपुर	
7.	तहसीलदार मण्ड्रायल	
8.	नायब तहसीलदार मासलपुर	
1.	उप रजिस्ट्रार कोटा प्रथम	कोटा
2.	उप रजिस्ट्रार कोटा द्वितीय	
3.	तहसीलदार रामगंजमंडी	
4.	तहसीलदार सांगोद	
5.	तहसीलदार दीगोद	
6.	तहसीलदार पीपल्दा	
7.	नायब तहसीलदार मण्डाना	
8.	नायब तहसीलदार चेचट	
9.	नायब तहसीलदार कनवास	
1.	तहसीलदार डीडवाना	नागौर
2.	तहसीलदार डेगाना	
3.	तहसीलदार जायल	
4.	तहसीलदार खींवसर	
5.	अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी	
6.	तहसीलदार लाडनूं	
7.	तहसीलदार मकराना	
8.	उप रजिस्ट्रार मेडतासिटी	
9.	उप रजिस्ट्रार नागौर	
10.	तहसीलदार नावां	
11.	तहसीलदार परबतसर	
12.	नायब तहसीलदार पीलवा	
13.	नायब तहसीलदार रियां	
14.	नायब तहसीलदार सांजू	
15.	नायब तहसीलदार मोलासर	
16.	नायब तहसीलदार भैरून्दा	
17.	नायब तहसीलदार डेह	
1.	तहसीलदार बाली	पाली
2.	तहसीलदार देसूरी	
3.	तहसीलदार जैतारण	
4.	तहसीलदार मारवाड जं0 (खारची)	
5.	उप रजिस्ट्रार पाली	
6.	तहसीलदार रायपुर	
7.	तहसीलदार रोहट	
8.	उप रजिस्ट्रार सुमेरपुर	
9.	तहसीलदार सोजत	
1.	तहसीलदार आमेट	राजसमन्द
2.	तहसीलदार भीम	
3.	तहसीलदार देवगढ़	
4.	नायब तहसीलदार गढ़बोर	
5.	तहसीलदार कुम्भलगढ़	
6.	नायब तहसीलदार कुवारियां	
7.	तहसीलदार नाथद्वारा	
8.	उप रजिस्ट्रार राजसमन्द	
9.	तहसीलदार रेलमगरा	

10.	नायब तहसीलदार सरदारगढ़	
11.	नायब तहसीलदार खमनौर	
1.	तहसीलदार वामनवास	सवाई माधोपुर
2.	तहसीलदार बौली	
3.	तहसीलदार चौथ का बरवाडा	
4.	तहसीलदार गंगापुर	
5.	तहसीलदार खण्डार	
6.	तहसीलदार मलारना डूंगर	
7.	उप रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर	
8.	नायब तहसीलदार बरनाला	
9.	नायब तहसीलदार वजीरपुर	
10.	नायब तहसीलदार बहराउण्डा कलां	
1.	उप रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
2.	उप रजिस्ट्रार अनूपगढ़	
3.	नायब तहसीलदार बीझबायला	
4.	उप रजिस्ट्रार सूरतगढ़	
5.	तहसीलदार सादुलशहर	
6.	तहसीलदार श्रीकरणपुर	
7.	नायब तहसीलदार गजसिंहपुर	
8.	तहसीलदार घडसाना	
9.	नायब तहसीलदार चुनावढ़	
10.	तहसीलदार रायसिंहनगर	
11.	नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर	
12.	तहसीलदार पदमपुर	
13.	नायब तहसीलदार मुकलावा	
14.	नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट	
15.	उप रजिस्ट्रार श्रीविजयनगर	
1.	तहसीलदार दातारामगढ़	सीकर
2.	तहसीलदार फतेहपुर	
3.	तहसीलदार लक्ष्मणगढ़	
4.	नायब तहसीलदार खण्डेला	
5.	नायब तहसीलदार पलसाना	
6.	तहसीलदार नीमकाथाना	
7.	अतिरिक्त तहसीलदार रामगढ़	
8.	उप रजिस्ट्रार सीकर	
9.	तहसीलदार श्रीमाधोपुर	
1.	उप रजिस्ट्रार आबूरोड	सिरोही
2.	नायब तहसीलदार भांवरी	
3.	तहसीलदार पिण्डवाडा	
4.	तहसीलदार रेवदर	
5.	उप रजिस्ट्रार सिरोही	
6.	तहसीलदार शिवगंज	
7.	नायब तहसीलदार कालन्द्री	
8.	नायब तहसीलदार मण्डार	
1.	तहसीलदार देवली	टोंक
2.	तहसीलदार मालपुरा	
3.	नायब तहसीलदार नगरफोर्ट	
4.	तहसीलदार निवाई	
5.	तहसीलदार टोडाराय सिंह	
6.	उप रजिस्ट्रार टोंक	
7.	तहसीलदार उनियारा	
8.	तहसीलदार पीपलू	
9.	नायब तहसीलदार बनेठा	
10.	नायब तहसीलदार दूनी	

1.	उप रजिस्ट्रार उदयपुर प्रथम	उदयपुर
2.	उप रजिस्ट्रार उदयपुर द्वितीय	
3.	नायब तहसीलदार बांरापाल	
4.	नायब तहसीलदार भिण्डर	
5.	तहसीलदार धरियाबाद	
6.	तहसीलदार गोगुन्दा	
7.	तहसीलदार कोटडा	
8.	नायब तहसीलदार कानोड	
9.	तहसीलदार खेरवाडा	
10.	नायब तहसीलदार कुरावड	
11.	नायब तहसीलदार लसाडिया	
12.	तहसीलदार मावली	
13.	तहसीलदार झाडोल	
14.	तहसीलदार सलुम्बर	
15.	तहसीलदार सराड़ा	
16.	तहसीलदार वल्लभनगर	
17.	नायब तहसीलदार सनवाड़	

नोट : प्रत्येक उप जिले के लिए नियुक्त समस्त उप-रजिस्ट्रारों की उपजिले में समवर्ती अधिकारिता होगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.393.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 4(17)एफ.डी/टैक्सडिवी./2000-353 दिनांक 24.04.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि ऐसे कृषकों, जिनकी कृषि भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन अर्जित कर ली गयी है, द्वारा कृषि भूमि के क्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए भूमि के बाजार मूल्य पर प्रवर्तित शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) कि क्रय की गयी ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है;
(ii) कि लिखत, अर्जित भूमि के स्थान पर प्रतिकर धन के संदाय से छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जायेगी; और
(iii) कि उपर्युक्त घटायी गयी दर, क्रेता द्वारा प्राप्त प्रतिकर की रकम तक क्रय की गयी भूमि के बाजार मूल्य की रकम पर लागू होगी।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-157]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.394.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./2000-320 दिनांक 30.3.2000 और एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-58, दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि बहिन या पुत्री या पौत्री या माता या पत्नी या पुत्रवधु या सगे भाई, पौत्र, पिता और पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, सम्पति के बाजार मूल्य पर प्रवर्तित शुल्क घटाकर 50 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-158]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.395.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 12(14)एफडी/टैक्स/2006-161, दिनांक 31.3.2006, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार भूमियों के ऐसे वर्ग के संबंध में, जो निम्न रूप में है, उक्त अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन भूमियों के वर्ग और प्रत्येक वर्ष के लिए संदेय कर की दर इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है:-

क्र.सं.	भूमि का वर्ग	कर की दर
1.	शीशा-जस्ता युक्त भूमियां	10 रु. प्रति वर्ग मीटर
2.	तांबा युक्त भूमियां	10 रु. प्रति वर्ग मीटर
3.	राकफास्फेट युक्त भूमियां	100 रु. प्रति वर्ग मीटर
4.	सीमेन्ट और एस एम एस ग्रेड चूना पत्थर युक्त भूमियां	4 रु. प्रति वर्ग मीटर
5.	जिप्सम युक्त भूमियां	2 रु. प्रति वर्ग मीटर
6.	10 हैक्टर या अधिक माप वाली बलुआ पत्थर युक्त भूमियां	0.1 रु. प्रति वर्ग मीटर

7.	ऊपर क्र.सं. 1 से 6 के अधीन नहीं आने वाली और किसी व्यक्ति द्वारा धारित 10 हैक्टर या अधिक किन्तु 50 हैक्टर से कम माप वाली भूमियां	0.75 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
8.	ऊपर क्र.सं. 1 से 6 के अधीन नहीं आने वाली और किसी व्यक्ति द्वारा धारित 50 हैक्टर या अधिक, किन्तु 100 हैक्टर से कम मापवाली भूमियां	1.00 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
9.	ऊपर क्र.सं. 1 से 6 के अधीन नहीं आने वाली और किसी व्यक्ति द्वारा धारित 100 हैक्टर या अधिक, किन्तु 500 हैक्टर से कम मापवाली भूमियां	1.25 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
10.	ऊपर क्र.सं. 1 से 6 के अधीन नहीं आने वाली और किसी व्यक्ति द्वारा धारित 500 हैक्टर या अधिक मापवाली भूमियां	1.50 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-159]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.396.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे भू-धारक को, जो बलुआ पत्थर युक्त भमि धारित करता हैं या प्रयुक्त करते हैं, वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए कर के संदाय से उस सीमा तक इसके द्वारा छूट देती है जिस तक वह 0.1 रु. प्रति वर्ग मीटर से अधिक है।

[एफ.12(28)वित्त/कर/2007-160]
राज्यपाल के आदेश से,

(जे.एल. जांगिड़)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.397.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि दिनांक 31.03.2007 के पश्चात् राज्य में पंजीकृत और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले निम्न प्रकार के वाहनों को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ङ) और धारा 4-ख के तहत् संदेय मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर के स्थान पर धारा 4-ग के तहत संदेय एकमुश्त कर का संदाय किया जाना अनिवार्य होगाः-

1. सभी श्रेणी के तिपहिया भार वाहन।
2. सभी श्रेणी के चार पहिया भार वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू 3000 किग्रा. तक है।
3. सभी श्रेणी के तिपहिया यात्री वाहन जिनकी बैठक क्षमता चालक को छोड़कर चार तक है।

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/05-161]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.398.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये 1.4.2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में,-

(1) विद्यमान खण्ड (ककक) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(ककक) यदि कर एकमुश्त कर के रूप में संदत्त किया जाना है -

(i) ऐसे यानों की दशा में जहां एकमुश्त कर का संदाय अनिवार्य है, वह पूर्णतया संदत्त किया जायेगा;

संपूर्ण रकम,-

(क) नये यानों की दशा में, यान के क्रय के 30 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी;
(ख) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और राज्य में लाये गये यानों की दशा में, राज्य में यान के लाये जाने या राज्य में यान के समनुदेशन के 30 दिन के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी।

(ii) ऐसे यानों की दशा में जहां एकमुश्त कर वैकल्पिक है, वह पूर्णतया या तीन समान किस्तों में संदत्त किया जायेगा। संपूर्ण रकम या प्रथम किस्त,-
(क) नये यानों की दशा में, यान के क्रय के 30 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी;
(ख) राज्य में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में, उस तारीख को जिसको स्वामी एकमुश्त कर संदाय करने का विकल्प देता है, संदेय होगी;
(ग) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में और जहां यान के स्वामित्व का अंतरण या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में पते का परिवर्तन राजस्थान राज्य में हुआ है, उस तारीख को, जिसको स्वामी एकमुश्त कर संदत्त करने का विकल्प देता है, संदत्त करेगा :

परन्तु जहां कर किस्तों में संदत्त किया जाना है वहां दूसरी किस्त उस तारीख, जिसको पहली किस्त देय होती है, से 6 मास की कालावधि की समाप्ति पर या उससे पहले संदत्त की जायेगी, तत्पश्चात् कर की अंतिम किस्त उस तारीख, जिसको पहली किस्त देय होती है, से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर या उससे पहले संदत्त की जायेगी।

(2) खण्ड (ख) के विद्यमान उप-खण्ड (v) और (vi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(v) कुल मिलाकर 10 तक सीट क्षमता वाली चार पहियों वाली संविदा गाड़ी के संबंध में वार्षिक रूप से संदाय किया जायेगा।
(vi) कुल मिलाकर 10 से अधिक किन्तु कुल मिलाकर 22 से अनधिक की सीट क्षमता वाली चार पहियों वाली संविदा गाडी के संबंध में त्रैमासिक संदाय किया जायेगा। तथापि, कर दो या अधिक त्रिमासों के लिए अग्रिम रूप से संदत्त किया जा सकता है।"

3. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 के विद्यमान खण्ड (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) प्राइवेट यान (परिवहन यान और सनिर्माण उपस्कर यान से अन्य) जो राजस्थान से बाहर रजिस्ट्रीकृत हैं और अस्थायी रूप से लाये गये हैं और राजस्थान में तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए उपयोग में लिए गये हैं या उपयोग के लिए रखा गया है;

जैसे ही ऐसा मोटर यान राजस्थान में लाया जाता है, तो उस यान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति कराधान अधिकारी को प्ररुप एम. टी. जे. में सूचना भेजेगा और यदि उस यान को तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए उपयोग में लिया

जाता है तो स्वामी के लिए राज्य में ऐसे यान के लिए यथा अधिसूचित कर का संदाय किया जाना अपेक्षित होगा।

जब ऐसा मोटर यान तीस दिन से अधिक अवधि के लिए राजस्थान में उपयोग में लिया जाता है या उपयोग के लिय रखा जाता है जो उसके बारे में कर का दायित्व उस दिन से आरम्भ हो जायेगा, जिसको उसे प्रथमतः राजस्थान में लाया गया था।

4. नये नियम 36 क का अंतःस्थापन.- विद्यमान नियम 36 के पश्चात् और विद्यमान नियम 37 के पहले निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"36 क. कर चुकता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.- (1) कर चुकता प्रमाणपत्र का आवेदन, यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी या यान के किसी परमिट धारक या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी वित्तदाता द्वारा, जिसके नियंत्रण में यान निहित होता है, संबंधित कराधान अधिकारी को एक सौ रुपये की नकद रसीद के साथ प्ररूप एम.टी.यू. में किया जायेगा।

(2) स्वामी आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
(ii) कर प्रमाणपत्र/अंतिम टोकन/एम टी सी-IV/एम टी सी-V;
(iii) संदत्त कर की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करने वाली रसीदें या यदि रसीदें संलग्न नहीं की जाती हैं तो कर जमा किये जाने का सबूत;
(iv) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो;
(v) परिवहन यान की दशा में, यान को जारी प्राधिकार सहित परमिट का भाग क और ख, यदि कोई हो;
(vi) बीमा प्रमाणपत्र और यदि स्वामी के लिए मूल बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना संभव न हो तो केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रमाणपत्र की फोटोप्रति या उद्धरण; और
(vii) अंतिम कर अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति या जारी अंतिम कर अनापत्ति प्रमाणपत्र का ब्यौरा, यदि कोई हो।

(3) कराधान अधिकारी अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि कर चुकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और वह उपर्युक्त उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ है तो आवेदन को प्ररूप एम टी यू के भाग II में अभिस्वीकृति रसीद जारी करेगा।

(4) कराधान अधिकारी द्वारा उप-नियम (3) के अधीन अभिस्वीकृत कर चुकता प्रमाणपत्र के प्रत्येक आवेदन की कराधान अधिकारी के कार्यालय में प्ररूप एम टी यू यू में रखे जाने वाले रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्टि की जायेगी।

(5) आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, कराधान अधिकारी लेखाकार/कनिष्ट लेखाकर की राजस्व संग्रहण रजिस्टर से स्वामी द्वारा जमा कर की रकम सत्यापित करने का निदेश देगा और आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, सहित स्वामी द्वारा संदेय कर की रकम की संगणना करेगा।

(6) यह समाधान हो जाने पर कि स्वामी ने शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, सहित संगणित कर संदत्त कर दिया है, प्ररूप एम टी यू यू यू में कर चुकता प्रमाणपत्र जारी करेगा जो वाटर मार्क स्टेशनरी पर होगा और कर चुकता प्रमाणपत्र पर एक होलोग्राम चिपकायेगा।

(7) कराधान अधिकारी कर लेजर/मांग संग्रहण रजिस्टर में कर, शास्ति और ब्याज के ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा और एम टी सी IV में भी कर, शास्ति और ब्याज के ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा और ऐसे मामलों में जहां एमटीसी IV जारी नहीं होता हो वहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में।

(8) कर चुकता प्रमाणपत्र ऐसे कराधान अधिकारी, जिसके अधिकारिता में यान उपयोग के लिए रखा जाता हो, का नाम और प्रयोजन दर्शित करेगा।

(9) कराधान अधिकारी यान के स्वामी को कर चुकता प्रमाणपत्र सहित मूल दस्तावेज लौटा देगा।

(10) यदि कर चुकता प्रमाणपत्र किसी अन्य कराधान अधिकारी के अधिकारिता में उपयोग के लिए कराधान अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो वह नये कराधान अधिकारी को कर चुकता प्रमाणपत्र की एक प्रति पृष्ठांकित करेगा और यान के कर लेजर को बन्द कर देगा।

(11) नया कराधान अधिकारी कर चुकता प्रमाणपत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् यान का कर लेजर खोलेगा और मूल कराधान अधिकारी को भी ऐसा करने की सूचना देगा।

(12) ऐसे कराधान अधिकारी से भिन्न कोई भी कराधान अधिकारी, जिसके नाम से कर चुकता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, कर चुकता प्रमाणपत्र के आधार पर यान के स्वामी को कोई भी सेवा नहीं देगा यदि ऐसा प्रमाणपत्र उसके क्षेत्र में उपयोग के लिए जारी न किया जाये।

5. नये प्ररूपों का अंतःस्थापन.- विद्यमान प्ररूप सं. एम.टी.टी. के पश्चात् निम्नलिखित नये प्ररूप एम.टी.यू., एम.टी.यू.यू. जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951

प्ररूप एम.टी.यू.

(नियम 36 क देखिए)

(कर चुकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन)

भाग - **I**

कराधान अधिकारी,

.....

1. मैं ---------- यान सं. ---------- मेक ---------- मॉडल ---------- निवासी (पूर्ण पता) ---------- का स्वामी इसके द्वारा अन्तरण/अभिलेख के लिए ठीक हालात में होने की मंजूरी/आर.सी. के अभ्यर्पण/पते में परिवर्तन/ परमिट की मंजूरी या नवीकरण / अनापत्ति प्रमाणपत्र की मंजूरी/कोई भी अन्य कारण (विनिर्दिष्ट करें) -------- के प्रयोजन के लिए दिनांक ---------- तक कर अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूँ और कराधान अधिकारी ---------- की अधिकारिता में उपयोग के लिए रखा जाता है।

2. मैं इसके साथ राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों को भी संलग्न करता हूँ:-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
(ii) कर प्रमाणपत्र / टोकन;
(iii) संदत कर की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करने वाली रसीदें या कर जमा कराने का सबूत;
(iv) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो;
(v) परिवहन यान की दशा में; यान को जारी प्राधिकार सहित परमिट का भाग क और ख, यदि कोई हो;
(vi) बीमा प्रमाणपत्र और स्वामी के लिए मूल बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना संभव न होने की दशा में केन्द्रीय/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित फोटोप्रति या उद्धरण; और
(vii) अन्तिम कर प्रमाणपत्र या जारी कर चुकता प्रमाणपत्र की प्रति या अंतिम कर अनापत्ति प्रमाणपत्र या कर चुकता प्रमाणपत्र का ब्यौरा, यदि कोई हो।

टिप्पणः– कर चुकता प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् मूल दस्तावेज स्वामी को लौटा दिये जायेंगे।

तारीखः
स्थानः

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग – **II**
अभिस्वीकृति

श्री ---------- निवासी ---------- से यान सं. ---------- के संबंध में आज दिनांक ---------- वर्ष ---------- को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कर चुकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
(ii) कर प्रमाणपत्र / टोकन;
(iii) कर जमा कराने का सबूत;
(iv) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो;
(v) परिवहन यान की दशा में; यान को जारी प्राधिकार सहित परमिट का भाग क और ख, यदि कोई हो;
(vi) बीमा प्रमाणपत्र और स्वामी के लिए मूल बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना संभव न होने की दशा में केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित फोटोप्रति या उद्धरण; और
(vii) अन्तिम कर अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति या कर चुकता प्रमाणपत्र या अंतिम कर अनापत्ति प्रमाणपत्र का ब्यौरा/जारी कर चुकता प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

तारीखः
स्थानः

कराधान अधिकारी के
मुहर सहित हस्ताक्षर

राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951
प्ररूप एम टी यू यू
(नियम 36 क देखिए)
कर चुकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किये जाने वाले यानों का रजिस्टर

क्र. स.	आवेदन प्राप्ति की तारीख	यान रजिस्ट्रीकरण सं.	फीस का ब्यौरा	कर की संगणना की तारीख	संगणित रकम			
					कर	शास्ति	ब्याज	कुल रकम
1	2	3	4	5	6			

कर चुकता का प्रयोजन	कालावधि के लिए जारी किया गया (कर चुकता और कराधान अधिकारी को)	कर चुकता की क्रम सं. और जारी करने की तारीख	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर	कराधान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
7	8	9	10	11

राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951
प्ररूप एम टी यू यू यू
(नियम 36 क देखिए)
कर चुकता प्रमाणपत्र
(वाटर मार्क स्टेशनरी पर तीन प्रतियों में जारी किया जायेगा)

होलोग्राम

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी

क्र.स. ..... तारीख .....

1. जिला परिवहन अधिकारी ---------- द्वारा उक्त यान के लिए पूर्व में दिनांक ---------- तक अंतिम कर अनापति प्रमाणपत्र/ कर चुकता प्रमाणपत्र सं. ---------- तारीख ---------- को जारी किया जा चुका है। (यदि पूर्व में जारी किया गया है)

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------- ट्रक/बस/कार/टैम्पो/ जीप/ट्रैक्टर/स्कूटर/ मोटर साइकिल/जे सी बी/ क्रेन इत्यादि यान सं. ---------- रजिस्ट्रीकरण की तारीख ---------- मेक/माडल ---------- के स्वामी ने जमा करा दिया है।

   (i) ---------- से ---------- तक मोटर यान कर
   (ii) ---------- से ---------- तक विशेष सड़क कर
   (iii) ---------- से ---------- तक ग्रीन कर
   (iv) ---------- से ---------- तक एक बारीय कर
   (v) ---------- से ---------- तक एकमुश्त कर

3. कराधान अधिकारी की अधिकारिता में ---------- के प्रयोग में (जारी करने का प्रयोजन) कर चुकता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है-

कर बही पूर्ण की गयी और प्रमाणपत्र जारी किया गया — जांच की गयी — जांच की गयी

(संबंधित लिपिक का नाम और हस्ताक्षर) (लेखाकार/ क.लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर) (कराधान अधिकारी की मुहर सहित नाम और हस्ताक्षर)

1. अंतरण/ अभिलेख/हालत/अभ्यर्पण/पते में परिवर्तन/परमिट/किसी भी अन्य कारण के लिए यान सं. ---------- के स्वामी श्री ----------
2. कराधान अधिकारी .....”

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/05-162]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.399.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/4एफ, दिनांक 24.3.2005, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट अस्थायी परमिटों पर चलने वाले विभिन्न वर्गों के परिवहन यानों और सन्निर्माण उपस्कर यानों पर तथा अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य से होकर जाने वाले मोटर यानों या मोटर यानों के चैसिसों पर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा तुरन्त कर की दर विहित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत अस्थायी परमिट पर चलने वाले परिवहन यान	
	क. यात्री यान	
	(1) तिपहिया वाहन	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 10/- रु.
	(2) चार पहियों वाले यान	
	(क) ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 12 तक की सीट क्षमता वाले	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 70/- रु.
	(ख) ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 12 से अधिक और ड्राइवर तथा कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 से अनधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 80/- रु.

	(ii) साधारण यान से भिन्न	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 90/- रु.
	(ग) ड्राइवर तथा कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 100/- रु.
	(ii) साधारण यान से भिन्न	7 दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 120/- रु.
	ख. माल यान	
	(क) 7000 किग्रा. तक जी.वी. डब्ल्यू/आर. एल.डब्ल्यू	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 किग्रा. जी.वी. डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 110/- रु.
	(ख) 7000 किग्रा. से अधिक तक जी.वी. डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू, 7000 किग्रा. के आधिक्य में प्रत्येक 1000 किग्रा. या उसके भाग के लिए	ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय रकम के अतिरिक्त, 30 दिन या उसके भाग के लिए प्रत्येक 1000 किग्रा. जी.वी. डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 50/- रु.
2.	इस राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए आने वाले अन्य राज्यों के सन्निर्माण उपस्कर यान	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 किग्रा. यू.एल. डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 1000/- रु.
3.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत मोटर यान या मोटर यानों के चेसिस	
	क. मोटर कार, ट्रेक्टर, ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाली आमनी बस और समस्त तिपहिया यान	प्रति यान 200/- रु.
	ख. खण्ड (क) के अधीन नहीं आने वाला कोई अन्य मोटर यान	प्रति यान 1,500/- रु.
	ग. मोटर यानों के चेसिस	प्रति यान 1,000/- रु.

स्पष्टीकरण :-

1. कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से चेसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 3x2 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।
2. कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण से भिन्न यान'' से चौसिस पर 2x2, 1x1 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।
3. संलग्न यानों को सम्मिलित करते हुए, ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजक या रूपान्तरण के जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू के प्रयोजन के लिए, ट्रक/हार्स ट्रेलर और साथ के किसी रूपान्तरण के जी.वी.डब्ल्यू को, उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/05/4जी-163]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.400.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/19बी दिनांक 16.2.2006 में 1.4.2007 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. विद्यमान परन्तुक में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो'' हटायी जायेगी;
2. स्पष्टीकरण (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो'' हटायी जायेगी;

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/05/19सी-164]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.401.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/22 दिनांक 16.2.2006 में 1.4.2007 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. सारणी में आयी क्र.सं. 3 की विद्यमान मद सं. (2) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" संलग्न यान से भिन्न	
(क) तिपहिया यान	यान/चैसिस की लागत का 9 प्रतिशत
(ख) 3000 क्रि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले चार पहिया माल यान	यान/चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत

(ग) 3000 क्रि.ग्रा. से अधिक जी.वी. डब्ल्यू वाले चार पहिया माल यान	
(i) 6,00,000/-रु. तक की लागत वाले चैसिस/यान	यान/चैसिस की लागत का 9 प्रतिशत
(ii) 6,00,000/-रु. से अधिक की लागत वाले चैसिस/यान	यान/चैसिस की लागत का 11 प्रतिशत

2. परन्तुक (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो" हटायी जायेगी; और

3. स्पष्टीकरण (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति के इस अधिसूचना के अधीन कर का संदत्त करने का विकल्प देने की दशा में," हटायी जायेगी।

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/05/22ए-165]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.402.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि./एच.क्यू./95/3एच, दिनांक 1.3.2002 में 1.4.2007 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न 'सारणी' में विद्यमान क्र.सं. 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"2. माल यान		
(1)	संलग्न यान	
(क)	10,00,000/- रु0 तक की लागत के चेसिस/यान	हॉर्स की लागत का 2 प्रतिशत
(ख)	10,00,000/- रु0 से अधिक की लागत के चेसिस/यान	20,000/- रु0 + 10 लाख रु0 से अधिक की लागत के प्रत्येक एक लाख रु0 या उसके भाग के लिए 50 रु0
(2)	संलग्न यान से भिन्न	
(क)	3,00,000/- रु0 तक की लागत के चेसिस/यान	अधिकतम 2,250/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए चेसिस/यान की लागत का 1.5 प्रतिशत
(ख)	3,00,000/- रु0 से अधिक और 6,00,000/- रु0 तक की लागत के चेसिस/यान	2,250/- रु0 + 3 लाख रु0 से अधिक की चेसिस/यान की लागत का 0.75 प्रतिशत

(ग)	6,00,000/- रु0 से अधिक और 10,00,000/- रु0 तक की लागत के चेसिस/यान	4500/- रु0 + 6 लाख रु0 से अधिक की चेसिस/यान की लागत का 0.95 प्रतिशत
(घ)	10,00,000/- रु0 से अधिक की लागत के चेसिस/यान	8300/- रु0 + 10 लाख रु0 से अधिक के प्रत्येक एक लाख रु0 या उसके भाग के लिए 50 रु0।

,,

[एफ.6(262)परि/कर//एचक्यू/07/3एल-166]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.403.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. सं. एफ. 6(179)परि/ टैक्स/एच क्यू/95/9सी, दिनांक 1.3.2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्ट इस राज्य के माल वाहकों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात्:-

सारणी

माल यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की वार्षिक दर
1. माल वाहक	
(1) संलग्न यान	
(क) 10,00,000 रु. तक की लागत के चेसिस/यान	हॉर्स की लागत का 0.40 प्रतिशत
(ख) 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के चेसिस/यान	4000/- + 10,00,000 रु. से अधिक की हार्स के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.
(2) संलग्न यान से भिन्न	
(क) 3,00,000 रु. तक की लागत के चेसिस/यान	चेसिस/यान की लागत का 1प्रतिशत
(ख) 3,00,000 रु. से अधिक और 6,00,000 रु. तक की लागत के चेसिस/यान	2000/- + 3,00,000 रु. से अधिक की चेसिस यान की लागत का 0.35 प्रतिशत
(ग) 6,00,000 रु. से अधिक और 10,00,000 रु. तक की लागत के चेसिस/यान	3050/- + 6,00,000 रु. से अधिक की चेसिस यान की लागत का 0.5 प्रतिशत
(ख) 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के चेसिस/यान	5050/- + 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/-रु

परन्तु कर की रकम एक मोटर यान के लिए 7000/-रु. (सात हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणः- किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय-समय पर ऐसे यानों पर लागू थी।

स्पष्टीकरणः- (1) कर की संगणना के लिए पान/चेसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है।

(2) इस अधिसूचना के अधीन संदेय विशेष सड़क कर, डम्पर, लोडर, कैम्पर वेन/ट्रेलर, टिपर, कैश वेन, मोबाइल वर्कशाप, एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स, स्नोकर्ड लेडर, ऑक्जिलरी ट्रेलर और अग्नि शमन यान, हीयर्स, मेल केरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्सरे वेन, लाईब्रेरी वेन इत्यादि जैसे यान पर प्रभारित नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना 1.4.2007 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.6(262)परि/कर//एचक्यू/07/9एफ-167]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

कृषि विभाग
(ग्रुप-2 अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.404.-राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की (समय-समय पर यथा- संशोधित) अधिसूचना सं. एफ. 15(10)एग्री-2 बी/90, दिनांक 27.09.1991 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु यह भी कि सब्जियों, जड़ी-बूंटियों और औषधीय पौधों के विक्रय या क्रय पर उद्ग्रहणीय मंडी फीस एक सौ रुपये पर 0.5 रु0 होगी।''

[एफ.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-168]
राज्यपाल के आदेश से,

(परविन्दर सिंह)
शासन सचिव

कृषि विभाग
(ग्रुप-2 अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2007

एस.ओ.405.-राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम, 1963 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इस अधिसूचना के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इस संशोधन को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 75 के उप-नियम (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''तथा सब्जियां होने की दशा में रु0 6.00'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''होने की दशा में रु0 6.00, सब्जियां होने की दशा में रु0 3.00'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-169]
राज्यपाल के आदेश से,

(परविन्दर सिंह)
शासन सचिव